

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर

पत्रांक / 14-1 दिनांक, कानपुर, दिसम्बर, 12 / 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी

उ०प्र० लखनऊ

विषय:-

जनपद-कानपुर नगर में प्रस्तावित टोरेन्ट गैस प्रा० लि० इटावा-चकरी मार्ग (NH-19) किमी० 450.96 से 453.07 तक बिछायी जा रही गैस पाईप लाइन निर्माण में प्रभावित 0.1015 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-
महोदय,

आपका पत्रांक 11सी-2016/एफ०पी०/यू०पी०/पा०ला०/52661/2020 दिनांक 05.01.2022।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सचिव उ०प्र० शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 की पत्र संख्या-238/81-2-2021-800(194)/2021 दिनांक 31.12.2021 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन अपलोड कराकर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर ने अपने पत्रांक 1634/14-1 दिनांक 05.12.2022 से उपलब्ध करायी है। उक्त बिन्दुवार अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूप में भरकर मूल में वचनबद्धता प्रमाण पत्र एवं आनलाइन पेमेन्ट हिस्ट्री तथा समस्त अभिलेखों की 03-03 प्रतियां मूल में संलग्न कर आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

क्र० सं०	समस्त शर्तें	अनुपालन आख्या
1	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	शर्त संख्या 1, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
2	भूमिगत पाइपलाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे - किनारे ही बिछाये जायेंगे।	शर्त संख्या 2, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भूमिगत पाइपलाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे - किनारे ही बिछाये जायेंगे।
3	पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक न होगी।	शर्त संख्या 3, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं की जाएगी।
4	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गई ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा की भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	शर्त संख्या 4, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा खोदी गई ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट किया जायेगा की भू-क्षरण की सम्भावना नहीं होगी।
5	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	शर्त संख्या 5, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
6	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	शर्त संख्या 6, के अनुपालन टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रभावित वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	शर्त संख्या 7, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ले ली जायेगी।
8	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।	शर्त संख्या 8 के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।
9	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति	शर्त संख्या 9, के अनुपालन में Online, forest clearance.nic.in ij e-payment portal के माध्यम से टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० सं०-566 एवं भारत सरकार के पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management

	पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management And Planing Authority), में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	and Planning Authority) उ०प्र०, एन०ई०एफ०टी० के द्वारा कैम्पा, खाता सं०-CAMPAUP7252661260 आई० एफ० एस० सी० कोड- UBIN0534498, "यूनियन बैंक आफ इण्डिया, ब्रान्च-52, सुन्दर नगर नई दिल्ली पिनकोड-110003 के पक्ष में निम्न प्रकार प्रेषित कर दी गयी है।
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	शर्त संख्या 10, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।
11	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	शर्त संख्या 11, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि टोरेन्ट गैस प्रा० लि० के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स तथा कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है।
12	भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ती/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।	शर्त संख्या 12, के अनुपालन में पर्यावरणीय अनापत्ती अनुमोदन प्रस्तावित परियोजना में लागू नहीं है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा की वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।	शर्त संख्या 13, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिया जायेगा प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।
14	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।	शर्त संख्या 14, के अनुपालन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र जिसमें वन सीमाओं का विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है उसे प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
15	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा० उच्चतम न्यायलय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	शर्त संख्या 15, के अनुपालन में प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं है तो प्रस्तावित परियोजना में मा० उच्चतम न्यायलय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
16	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	शर्त संख्या 16, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
17	परियोजना में गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन०पी०वी० का भुगतान किया जायेगा।	शर्त संख्या 17, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित परियोजना में गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन०पी०वी० का भुगतान कर दिया गया है।
18	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायलयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	शर्त संख्या 18, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायलयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा किया जायेगा।

राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से अच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार हैं:-

(1) सी0एन0जी0/गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती हैं तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अंतरशहरीय शहर से ग्रामीण अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है उस कंपनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत लागू रहेगी।

(2) ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु गैस पाइप लाइन बिछाती हैं अर्थात् जिसका दायरा एक शहर होता है उस कंपनी को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत सामान्यतया दुगने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रखरखाव के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जाएगा। इय धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जाएगा।

(3) उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान किया जाएगा। प्रश्नगत आदेश मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

शर्त संख्या 19, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से अच्छादित बिन्दु का अनुपालन टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार हैं:-

(1) सी0एन0जी0/गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती हैं तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अंतरशहरीय शहर से ग्रामीण अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है तो उस कंपनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त मान्य करने के लिये टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 वचनबद्ध है।

(2) ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु गैस पाइप लाइन बिछाती हैं अर्थात् जिसका दायरा एक शहर होता है उस कंपनी को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत सामान्यतया दुगने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रखरखाव के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किये गये सभी शर्तों का अनुपालन करने के लिये टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 वचनबद्ध है। इय धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जाएगा।

(3) उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान किया जाएगा। प्रश्नगत आदेश मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय

(कृष्ण कुमार सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल, कानपुर

संख्या: 1728अ/ समदिनांकित

प्रतिलिपि:-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग कानपुर को उनके पत्रांक 1634/14-1 दिनांक 05.12.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रबन्धक परियोजना टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 एच.आई.जी.-आईबी चन्द्र विहार, लखनपुर, कानपुर को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कृष्ण कुमार सिंह)
मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल, कानपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, कानपुर
पत्रांक 713 / 141 कानपुर, दिनांक, 05-9- 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
कानपुर मण्डल, कानपुर

विषय:- जनपद-कानपुर नगर में प्रस्तावित टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 इटावा-चकेरी मार्ग (NH-19) किमी0 450.96 से 453.07 तक विछायी जा रही गैस पाईप लाइन निर्माण में प्रभावित 0.1015 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- सचिव उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या पी 238/81-2-2021-800 (194)/2021 दिनांक 31.12.2021 एवं आपके कार्यालय की पत्र संख्या 2377/14-1 दिनांक 26.01.2022।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में विषयक प्रकरण में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता अभिकरण, प्रबन्धक परियोजना, टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0, एच.आई.जी.-आईवी चन्द्र विहार, लखनपुर, कानपुर ने इस कार्यालय को उपलब्ध करायी है। प्रश्नगत प्रकरण की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् है, जिसकी 04 प्रतियां संलग्न कर प्रेषित हैं।

क्रम संख्या	शर्तें	अनुपालन की स्थिति
1	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा, सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
2	भूमिगत पाइपलाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे - किनारे ही विछाये जायेंगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित भूमिगत पाइपलाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही विछाये जाने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
3	पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक न होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित पाइप लाइन हेतु खोदी गई ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं की जाएगी, वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गई ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा की भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित द्वारा खोदी गई ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट किया जायेगा की भू-क्षरण की सम्भावना न हो वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
5	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में लिखित सहमति दी जायेगी वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ले ली जायेगी वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

8	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा। वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
9	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management And Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित Online, forest clearance.nic.in e-payment portal के माध्यम से टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० सं०-566 एवं भारत सरकार के पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) उ०प्र०, एन०ई०एफ०टी० के द्वारा कैम्पा, खाता सं०-CAMPAUP7252661260 आई०एफ० एस० सी० कोड- UBIN0534498, "यूनियन बैंक आफ इण्डिया, ब्रान्च-52, सुन्दर नगर नई दिल्ली पिनकोड-110003 के पक्ष में ऑन लाइन चालान की प्रति, वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
11	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित वैध व अधिकृत लाइसेन्स तथा कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
12	भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ती/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरणीय अनापत्ती अनुमोदन प्रस्तावित परियोजना में लागू नहीं है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा की वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिया जायेगा प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। ।
14	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन	प्रस्तावक विभाग द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र जिसमें वन सीमाओं का विशेष

	सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।	डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है उसे प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
15	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायलय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा, अवगत कराया गया कि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं है तो प्रस्तावित परियोजना में मा0 उच्चतम न्यायलय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
16	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
17	परियोजना में गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित परियोजना में गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान ऑन लाइन कर दिया गया है चालान की प्रति संलग्न है।
18	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायलयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायलयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा किया जायेगा वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
19	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से अच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार हैं:- (1) सी0एन0जी0/गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती हैं तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अंतरशहरीय शहर से ग्रामीण अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है उस कंपनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत लागू रहेगी। (2) ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु गैस पाइप लाइन बिछाती हैं अर्थात् जिसका दायरा एक शहर होता है उस कंपनी को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत सामान्यतया दुगने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रखरखाव के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जाएगा। इय धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जाएगा। (3) उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान किया जाएगा। प्रश्नगत आदेश मुख्य	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से अच्छादित बिन्दु का अनुपालन टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार हैं:- (1) सी0एन0जी0/गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती हैं तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अंतरशहरीय शहर से ग्रामीण अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है तो उस कंपनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त मान्य करने के लिये टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 वचनबद्ध है। (2) ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु गैस पाइप लाइन बिछाती हैं अर्थात् जिसका दायरा एक शहर होता है उस कंपनी को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत सामान्यतया दुगने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रखरखाव के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किये गये सभी शर्तों का अनुपालन करने के लिये टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 वचनबद्ध है। इय धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जाएगा। (3) उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान किया जाएगा। प्रश्नगत आदेश मुख्य वन

वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। ।

भवदीय

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

संख्या 713 / समदिनॉकित।

प्रतिलिपि— प्रबन्धक परियोजना टोरेन्ट गैस प्रा० लि० एच.आई.जी.—आईवी चन्द्र विहार, लखनपुर, कानपुर को उपरोक्त के कम में इस आशय से प्रेषित कि अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर आन लाइन अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

0/2


सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
साठवाठ प्रभाग, कानपुर।


विषय:- जनपद कानपुर नगर में प्रस्तावित टोरेन्ट गैस प्रा० लि०, द्वारा इटावा-चकेरी मार्ग (एन०एच०-19) किमी०-450.96 से 453.07 तक बिछायी जा रही गैस पाइप लाईन निर्माण में प्रभावित 0.1015 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में। (प्रस्ताव सं० एफपी/यूपी०/पाइपलाइन/52661/2020)

सन्दर्भ- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ का पत्रांक संख्या-238/81-2-2021-800 (194)/2021 दिनांक 31.12.2021

क्रम संख्या	शर्तें	अनुपालन की स्थिति
1	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	शर्त संख्या 1, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
2	भूमिगत पाइपलाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे - किनारे ही बिछाये जायेंगे।	शर्त संख्या 2, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भूमिगत पाइपलाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे - किनारे ही बिछाये जायेंगे।
3	पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक न होगी।	शर्त संख्या 3, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं की जाएगी।
4	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गई ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा की भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	शर्त संख्या 4, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा खोदी गई ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट किया जायेगा की भू-क्षरण की सम्भावना नहीं होगी।
5	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	शर्त संख्या 5, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
6	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	शर्त संख्या 6, के अनुपालन टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रभावित वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	शर्त संख्या 7, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ले ली जायेगी।
8	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।	शर्त संख्या 8 के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना



	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management And Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	रहेगा। शर्त संख्या 9, के अनुपालन में Online, forest clearance.nic.in ij e-payment portal के माध्यम से टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 सं0-566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) उ0प्र0, एन0ई0एफ0टी0 के द्वारा कैम्पा, खाता सं0-CAMPAUP7252661260 आई0 एफ0 एस0 सी0 कोड- UBIN0534498, "यूनियन बैंक आफ इण्डिया, ब्रान्च-52, सुन्दर नगर नई दिल्ली पिनकोड-110003 के पक्ष में निम्न प्रकार प्रेषित कर दी गयी है।
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	शर्त संख्या 10, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।
11	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	शर्त संख्या 11, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स तथा कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है।
12	भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ती/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।	शर्त संख्या 12, के अनुपालन में पर्यावरणीय अनापत्ती अनुमोदन प्रस्तावित परियोजना में लागू नहीं है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा की वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।	शर्त संख्या 13, के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिया जायेगा प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।
14	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।	शर्त संख्या 14, के अनुपालन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र जिसमें वन सीमाओं का विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है उसे प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
15	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में	शर्त संख्या 15, के अनुपालन में प्रश्नगत भूमि



सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायलय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं है तो प्रस्तावित परियोजना में मा0 उच्चतम् न्यायलय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।
समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	शर्त संख्या 16 , के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
17 परियोजना में गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।	शर्त संख्या 17 , के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित परियोजना में गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान कर दिया गया है।
18 उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायलयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	शर्त संख्या 18 , के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायलयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा किया जायेगा।
19 राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से अच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार हैं:- (1) सी0एन0जी0/गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती हैं तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अंतरशहरीय शहर से ग्रामीण अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है उस कंपनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत लागू रहेगी। (2) ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु गैस पाइप लाइन बिछाती हैं अर्थात् जिसका दायरा एक शहर होता है उस कंपनी को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत सामान्यतया दुगने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रखरखाव के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जाएगा। इय धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जाएगा। (3) उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान किया जाएगा। प्रश्नगत आदेश मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश	शर्त संख्या 19 , के अनुपालन में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से अच्छादित बिन्दु का अनुपालन टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार हैं:- (1) सी0एन0जी0/गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती हैं तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अंतरशहरीय शहर से ग्रामीण अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है तो उस कंपनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त मान्य करने के लिये टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 वचनबद्ध है। (2) ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु गैस पाइप लाइन बिछाती हैं अर्थात् जिसका दायरा एक शहर होता है उस कंपनी को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत सामान्यतया दुगने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रखरखाव के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किये गये सभी शर्तों का अनुपालन करने के लिये टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 वचनबद्ध है। इय धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जाएगा। (3) उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान किया जाएगा। प्रश्नगत आदेश मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की

में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

C.S

Aw
(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर


Devesh Singh
(प्राधिकृत इस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के
उल्लंघन सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-चकेशी मार्ग (एन०एच०-19) किमी०-450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु प्रभावित संरक्षित वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है तथा उपरोक्त शर्तों का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पालन किया जायेगा।

CS

Ali
(अरविन्द कुमार यादव)
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सा०वा० प्रभाग कानपुर


(प्रमाणित हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

शर्त संख्या 1

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-चकेरी मार्ग (एन०एच०-19) किमी०-450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।

c.s

Arvind
(अरविन्द कुमार यादव)
प्रमाणीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर

Arvind
PRATAP GAS PRIVATE LIMITED
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

शर्त संख्या 2

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-चकेरी मार्ग (एन०एच०-19) किमी०-450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि भूमिगत पाइपलाइन/मार्गों/सड़कों /वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।

C.S

hiw
(अरविन्द कुमार यादव)
प्रमाणीय निवेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर


Sharma
TARENT GAS PRIVATE
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

शर्त संख्या 3

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-चकेशी मार्ग (एन०एच०-19) किमी०-450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं की जाएगी।

C.S
(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर


(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

शर्त संख्या 4

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-चकेरी मार्ग (एन०एच०-19) किमी०-450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा खोदी गई ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट किया जायेगा की भू-क्षरण की सम्भावना नहीं होगी।

CS.
Ariv
(अरविन्द कुमार यादव)
प्रमाणीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर

Ariv
TORENT GAS PRIVATE LIMITED
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

शर्त संख्या 5

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-चकेशी मार्ग (एन०एच०-19) किमी०-450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

C.S
Aii
(अरविन्द कुमार यादव)
प्रमाणीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर


(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

शर्त संख्या 6

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-चकेरी मार्ग (एन०एच०-19) किमी०-450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि प्रस्तावित वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।

CS

Air
(अरविन्द कुमार यादव)
प्रमाणीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर

Shree Shree
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

शर्त संख्या 7

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-चकेरी मार्ग (एन०एच०-19) किमी०-450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ले ली जायेगी।

CS
Aiw
(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
& कानपुर


(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

शर्त संख्या 8

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-चकेरी मार्ग (एन०एच०-19) किमी०-450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।

CS
Aii
(अरविन्द कुमार यादव)
प्रमाणीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर


(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-चकरी मार्ग (एन०एच०-19) किमी०-450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण की धनराशि रू० 97215.00 ई-चालान द्वारा कैम्पा मद में जमा करा दी गयी है एवं इसका चालान भी संलग्न कर दिया गया है।

क्रम सं०	विवरण/मद	धनराशि (रू०में)	फण्ड ट्रांसफर का प्रकार	दिनांक	यू०टी०आर० नं०
1	2	3	4	5	7
1	शर्त संख्या-9 व 17 के अनुपालन में संरक्षित वनभूमि 0.1015 हे० का संशोधित शुद्ध वर्तमान मूल्य (957780 लाख प्रति हे० की दर से) / (एन०पी०वी०) व पौधों के रोपण एवं 10 वर्षों का रखरखाव / (सी०ए०)	97215.00 रूपये	एन.ई.एफ.टी.	04.03.2022	BARBD220633 91003
	योग-	97215.00 रूपये			

CS
Aiw
(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर


(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India
अंध्र प्रदेश



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 03-03-2022

Agency Name.	TORRENT GAS PRIVATE LIMITED
Application No.	7252661260
MoEF/SG File No.	P-238/81-2-2021-800(194)/2021
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	TORRENT GAS PRIVATE LIMITED, "SAMANVAY", 600, TAPOVAN, AMBAWADI, AHMEDABAD Ahmedabad
Amount(in Rs)	97215/-

Amount in Words :Ninety-Seven Thousand Two Hundred and Fifteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150907252661260 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India
अंध्र प्रदेश



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 03-03-2022

Agency Name.	TORRENT GAS PRIVATE LIMITED
Application No.	7252661260
MoEF/SG File No.	P-238/81-2-2021-800(194)/2021
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	TORRENT GAS PRIVATE LIMITED, "SAMANVAY", 600, TAPOVAN, AMBAWADI, AHMEDABAD Ahmedabad
Amount(in Rs)	97215/-

Amount in Words :Ninety-Seven Thousand Two Hundred and Fifteen Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150907252661260 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003


- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation (आवृत्ति कुमार यादव)
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to प्रमाणीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग कानपुर
Email: cb0371@unionbankofindia.com

UTR No. BARB022063391003

Date: 04/03/22



Date	Beneficiary Name	RBI/UTR Reference Number	Amount	Beneficiary Account Number	IFSC Code
04-03-2022	UTTAR PRADESH CAMPA	BARBD22063391003	97,215	150907252661260	UBIN0903710

शर्त संख्या 10

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-चकरी मार्ग (एन०एच०-19) किमी०-450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

CS

Aii
(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर

Devesh Singh
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
TORRENT GAS PRIVATE LIMITED
टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-चकरी मार्ग (एन०एच०-19) किमी०-450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि टोरेन्ट गैस प्रा० लि० के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स तथा कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है।

C.S.
Aii
(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर


(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

TORENT GAS PRIVATE LIMITED.
TORRENT GAS PRIVATE LIMITED.

शर्त संख्या 13

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-चकेशी मार्ग (एन०एच०-19) किमी०-450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिया जाएगा प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

CS
Aii
(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
& कानपुर


(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
टोरेन्ट गैस प्रा० लि०

शर्त संख्या 16

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-चकेरी मार्ग (एन०एच०-19) किमी०-450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

CS
Anil
(अरविन्द कुमार यादव)
प्रमाणीय निवेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर




शर्त संख्या 18

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-चकरी मार्ग (एन०एच०-19) किमी०-450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा किया जायेगा।

CS

Anil
(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
& कानपुर



वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इटावा-चकरी मार्ग (एन०एच०-19) किमी०-450.96 से 453.07 तक जनपद कानपुर नगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से अच्छादित बिन्दु का अनुपालन टोरेन्ट गैस प्रा० लि० द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार हैं:-

(1) सी०एन०जी०/गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती हैं तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अंतरशहरीय शहर से ग्रामीण अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है तो उस कंपनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी० तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त मान्य करने के लिये टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है।

(2) ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु गैस पाइप लाइन बिछाती हैं अर्थात् जिसका दायरा एक शहर होता है उस कंपनी को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत सामान्यतया दुगने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक के रखरखाव के लिए राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किये गये सभी शर्तों का अनुपालन करने के लिये टोरेन्ट गैस प्रा० लि० वचनबद्ध है। इय धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जाएगा।

(3) उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान किया जाएगा। प्रश्नगत आदेश मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

C.S
(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
कानपुर

